

मान्यता कोड : RJBWR26583

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी BHILWARA, राजस्थान

क्रमांक विशिष्टता/प्रति/मान्यता/2018/354 दिनांक 30.08.2018

सचिव

प्रबंध समिति

SHRI SHIVCHARAN MATHUR INTERNATIONAL SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

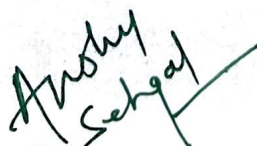
अपने आवेदन पत्र क्रमांक 24743 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए परीक्षापूर्व पत्र व्यवहार/

विशेषता के संदर्भ में, SHRI SHIVCHARAN MATHUR INTERNATIONAL SCHOOL पता PATHIK NAGAR,

BHILWARA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP_BHILWARA ब्लॉक SUWANA को शैक्षिक सत्र 2018-19 से नियमित रूप से मान्यता मंजूर करता हूँ-

मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के अर्थ से इस कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अस्तित्व में नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आठ - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी सम्बंधित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेंगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- परा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- संशोधित विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या परामर्शक को किसी छटाई (Screening) प्रक्रिया का पत्र नहीं भेजाएगा।
- विद्यालय आयु के सन्दर्भ के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(ii) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पत्र नहीं होगा;
(iii) विद्यालय को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;


Principal

Shri Shivcharan Mathur International School
Pathik Nagar, BHILWARA(Raj.)


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा (राज.)



प्रधानाचार्य,
शिवचरण माथुर इन्टरनेशनल स्कूल,
पथिक नगर, भीलवाड़ा।

विषय:-मान्यता के संबंध में।

प्रसंग:-आपके पत्रांक म.आ.भी/ मान्यता/2021-22/spl दिनांक 08.02.2022 के
क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि स्थानीय कार्यालय
द्वारा पत्रांक जिशिअभी/ प्राशि / मान्यता/2016-17/ PS-21 दिनांक 12.04.2017 द्वारा सत्र
2016-17 से कक्षा 01 से 05 तक मान्यता प्रदान की गई तथा तदपश्चात् पत्रांक जिशिअभी/
प्राशि / मान्यता/2018/ 354 दिनांक 30.08.2018 द्वारा सत्र 2018-19 से ही कक्षा 06, 07 एवं
08 की मान्यता प्रदान की गई। अतः उक्त विद्यालय को कक्षा 01 से 08 के संचालन के लिये कोई
अन्य प्रमाण पत्र / पत्र की आवश्यकता नहीं है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक भीलवाड़ा


Principal

Shri Shivcharan Mathur International School
Pathik Nagar, BHILWARA(Raj.)